

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,
1986 {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1986}

THE UTTAR PRADESH GANGSTERS AND ANTI-SOCIAL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1986

[U. P. Act No. 7 of 1986]

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986।

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1986}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 मार्च, 1986 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 मार्च, 1986 की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 19 मार्च, 1986 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनांक 19 मार्च, 1986 को प्रकाशित हुआ।}

गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप को रोकने और उनका सामना करने के लिए और उनसे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप संक्षिप्त नाम, विस्तार और (निवारण) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा।

प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2— इस अधिनियम में, :—

परिभाषाएं

(क) “संहिता” का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 से है;

(ख) “गिरोह” का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, जो लोक व्यवस्था का अस्त

अधिनियम सं0 2 सन् 1974

व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं, अर्थात् :—

(एक) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 या अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन अधिनियम सं0 45 सन् 1960 दण्डनीय अपराध; या

(दो) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या नारकोटिक ड्रग्स एण्ड संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0 4 साइकोट्रापिक सब्सटैन्सेज ऐक्ट, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धों सन् 1910 का उल्लंघन करके किसी शराब या मादक या अनिष्टकर मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन या निर्माण या संग्रह या परिवहन या आयात या निर्यात का विक्रय या वितरण या किन्हीं पौधों की खेती करना; या

(तीन) विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन अधिनियम सं0 61 सन् 1985 करना या कब्जा लेना या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना; या

(चार) किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना; या

(पांच) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन दण्डनीय

अधिनियम सं0 104 सन् 1956

अपराध; या

1. उद्देश्य और कारण के लिए दिनांक 14 मार्च, 1986 का उत्तर प्रदेश असाधारण गजट देखिये।

{उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986}
2}

{धारा

(छः) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध; या

अधिनियम सं० 3 सन् 1967

(सात) किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से किसी पट्टे या अधिकार के लिए या माल के संभरण या किये जाने वाले कार्य के लिए, विधिपूर्वक संचालित किसी नीलाम में बोली लगाने या विधिपूर्वक मांगे गये टेंडर देने से किसी व्यक्ति को रोकना; या

(आठ) किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारु रूप से करने से रोकना या उसमें विघ्न डालना; या

(नौ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171—ड के अधीन दण्डनीय अपराध या
1860

अधिनियम सं० 45 सन्

मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोककर किसी विधिपूर्वक होने वाले किसी सार्वजनिक निर्वाचन को रोकना या उसमें बाधा डालना; या

(दस) अन्य व्यक्तियों को साम्प्रदायिक सामंजस्य में विघ्न डालने के लिए हिंसा करने के लिए उद्दीप्त करना; या

(ग्यारह) जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना; या

(बारह) सार्वजनिक या निजी उपक्रमों या कारखानों के कर्मचारियों या स्वामियों या अध्यासियों को आतंकित करना या उन पर हमला करना और उनकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाना; या

(तेरह) किसी व्यक्ति को इस मिथ्या व्यपदेशन पर कि उसे विदेश में कोई सेवायोजन, व्यापार या वृत्ति उपलब्ध करायी जायगी, ऐसे विदेश में जाने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना; या

(चौदह) फिरौती उद्घापित करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना; या

(पन्द्रह) किसी वायुयान या सार्वजनिक परिवहन यानों का उसके पूर्व निर्धारित मार्ग से जाने से पथान्तरित करना या अन्यथा रोकना;

(ग) “गिरोहबन्द” का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो खण्ड (ख) में प्रगणित किसी गिरोह के क्रियाकलाप के लिये, चाहे ऐसे क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात्, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसे क्रियाकलाप किये हों, संश्रय देता है;

(घ) “लोक सेवक” का तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथापरिभाषित लोक सेवक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो राज्य की पुलिस या अन्य प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण या अभियोजन या दण्ड में, चाहे ऐसे अपराध या अपराधी के संबंध में सूचना या साक्ष्य देकर या किसी अन्य रीति से, विधिपूर्वक सहायता करता है;

(ङ) “किसी लोक सेवक के कुटुम्ब का सदस्य” का तात्पर्य उसके माता-पिता या पति या पत्नी और भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री या इनमें से किसी के पति या पत्नी से है और इसक अन्तर्गत लोक सेवक पर आश्रित या उसके साथ निवास करने वाला कोई व्यक्ति और कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जिसके कल्याण में लोक सेवक हित रखता हो;

{उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986}

{धारा 3—4}

(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो ऐसी संहिताओं में उनके लिए दिए गये हैं।

3— (1) किसी गिरोहबन्द को दोनों में से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि

शास्ति

के लिए, जो दो वर्ष से कम न होगी और जो दस वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायगा :

परन्तु किसी गिरोहबन्द को, जो किसी लोक सेवक के शरीर के प्रति या लोक सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य के शरीर के प्रति कोई अपराध करता है, दोनों में किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से कम न होगी और जुर्माना से भी, उसे पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायगा।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक होते हुए चाहे स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी गिरोहबन्द की किसी रीति से अवैध रूप से सहायता या समर्थन, चाहे गिरोहबन्द द्वारा कोई अपराध किये जाने के पूर्व या पश्चात् करता है या विधिपूर्ण उपाय करने से विरत रहता है या इस संबंध में किसी न्यायालय या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों को कार्यान्वित करने से जानबूझकर बचता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु तीन वर्ष से कम न होगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायगा।

4— संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराधों या सम्बद्ध अपराधों के लिए विचारण और दण्ड के प्रयोजनार्थ — साक्ष्य के लिए विशेष नियम

(क) न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रख सकता है कि अभियुक्त —

(एक) किसी पूर्व अवसर पर संहिता की धारा 107 या धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 के अधीन आबद्ध किया गया था; या

(दो) निवारक निरोध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया गया था; या

(तीन) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 या ऐसी किसी अन्य विधि के अधीन बहिष्कासित किया गया था;

(ख) जहां यह साबित हो जाय कि किसी गिरोहबन्द या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास किसी समय इतनी जंगम या स्थावर सम्पत्ति है या रही है, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है या जहां उसके वित्तीय साधन उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं हैं, वहां न्यायालय, जब तक कि इसके प्रतिकूल न साबित कर दिया जाय, यह उपधारणा करेगा कि ऐसी सम्पत्ति या वित्तीय साधन गिरोहबन्द के रूप में उसके क्रियाकलाप से अर्जित या प्राप्त किया गया है;

(ग) जहां यह साबित हो जाय कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह फिरौती के लिये किया गया था;

(घ) जहां यह साबित हो जाय कि किसी गिरोहबन्द ने किसी व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाया या परिरुद्ध किया है, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि गिरोहबन्द यह जानता था कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, व्यपहृत या अपहृत किया गया था;

{उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986}

{धारा 5-6}

(ङ) यदि न्यायालय, उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना उचित समझे, अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है और किसी साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभियुक्त ऐसा चाहे तो साक्षी को प्रति-परीक्षा के लिये पुनः बुलाया जा सकता है किन्तु अभियुक्त की उपस्थिति में उसकी मुख्य परीक्षा पुनः अभिलिखित करना आवश्यक न होगा।

5— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण के हित में यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिये एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है। विशेष न्यायालय

(2) किसी विशेष न्यायालय को अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जायगी, जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जायगी।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से किसी विशेष न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकती है।

(4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय या न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न हो।

(5) वहां विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त हो या ऐसा न्यायाधीश विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान से अनुपस्थित हो या वह रुग्णता के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, वहां विशेष न्यायालय में किसी अति-आवश्यक कार्य का निस्तारण—

(क) उस विशेष न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अपर न्यायाधीश, यदि कोई हो, द्वारा,

(ख) यदि कोई ऐसा अपर न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो ऐसे सेशन न्यायाधीश के, जिसका यथा अधिसूचित विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान पर अधिकारिता हो, निदेशों के अनुसार किया जायगा।

(6) जहां किसी विशेष न्यायालय में एक अपर न्यायाधीश या अधिक अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, समय-समय पर, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा विशेष न्यायालय के कार्य का वितरण स्वयं अपने और अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों के बीच करने के लिए और किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में तात्कालिक कार्य के निपटारे के लिये भी, व्यवस्था कर सकता है।

6— विशेष न्यायालय, यदि वह ऐसा करना समीचीन या वांछनीय समझे तो अपनी बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान में अपनी किसी कार्यवाही के लिये बैठक कर सकता है :

बैठक का स्थान

परन्तु यदि लोक अभियोजक विशेष न्यायालय को यह विश्वास दिलाता है कि उसी राय में अभियुक्त या किसी साखी की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है या न्याय के हित में अन्यथा समीचीन है कि सम्पूर्ण विचारण या उसका कोई भाग विशेष न्यायाधीश की बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान में किया जाना चाहिए तो विशेष न्यायालय अभियुक्त की सुनवाई करने के पश्चात् उस आशय का आदेश दे सकता है जब तक कि विशेष न्यायालय, उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कोई अन्य आदेश देना उचित न समझे।

{उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986}

{धारा 7—9}

7— (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, वहां किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये विशेष न्यायालयों की विशेष न्यायालय का गठन किया गया है, वहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध पर केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जायगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध चाहे, ऐसे विशेष न्यायालय के गठन के पूर्व या पश्चात् किया गया हो।

अधिकारिता

(2) विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय ऐसे सभी मामले, जो ऐसे विशेष न्यायालय के गठन के पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हो, ऐसे विशेष न्यायालय के सृजन पर, जिसकी ऐसे मामलों पर अधिकारिता हो, उसे अन्तरित हो जायेंगे।

(3) जहां किसी न्यायालय को किसी अपराध की किसी जांच या उसके सम्बन्ध के विचारण के दौरान यह प्रतीत हो कि मामला ऐसा है कि उस पर उस क्षेत्र के लिए, जहां ऐसा मामला उत्पन्न हुआ हो, इस अधिनियम के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए, वहां न्यायालय ऐसा मामला ऐसे विशेष न्यायालय को अन्तरित करेगा और तदुपरान्त ऐसे मामले पर विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विचारण और उसका निस्तारण किया जायगा :

परन्तु विशेष न्यायालय के लिये इस धारा के अधीन मामले के अन्तरण के पूर्व न्यायालय द्वारा मामले में अभियुक्त की उपस्थिति में अभिलिखित साक्ष्य पर, यदि कोई हो, कार्यवाही करना विधिपूर्ण होगा :

परन्तु यह और कि यदि विशेष न्यायालय की यह राय हो कि ऐसे साक्षियों की, जिनके साक्ष्य मामले में पहिले ही अभिलिखित किये जा चुके हैं, न्याय के हित के अतिरिक्त परीक्षा करना आवश्यक है तो वह ऐसे किसी साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, यदि कोई हो, जैसा वह अनुज्ञा दे, के पश्चात् साक्षी को उन्मोचित कर दिया जायेगा।

(4) राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित कोई मामला किसी अन्य विशेष न्यायालय को अन्तरित कर सकती है।

8— (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी अन्य अपराध पर, जिसका अभियुक्त पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसी विचारण में आरोप लगाया जाय, विचार कर सकता है।

अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की शक्ति

(2) यदि किसी अपराध के, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण के दौरान यह पाया जाय कि अभियुक्त ने इस अधिनियम या इसके अधीन किसी नियम या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध का सिद्ध-दोषी ठहरा सकता है और उसके दण्ड के लिये, यथास्थिति, इस अधिनियम या ऐसे नियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है।

9— (1) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त कर सकती है;

लोक अभियोजक

परन्तु राज्य सरकार किसी मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है।

{उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986}

{धारा 10}

(2) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, जब उसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या कम से कम सात वर्ष की अवधि तक संघ या किसी राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया हो, जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति संहिता की धारा 2 के खण्ड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जायगा और संहिता के उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे।

10— (1) विशेष न्यायालय अपने द्वारा विचारणीय किसी अपराध का संज्ञान, विचारण विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया के लिए अभियुक्त को उसे सुपुर्द किये गये बिना उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, और शक्तियां परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर कर सकता है।

(2) जहां विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है, वहां विशेष न्यायालय, संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः कर सकता है और संहिता की धारा 263 से 265 तक के उपबन्ध, यथासाध्य, ऐसे विचारण पर लागू होंगे :

परन्तु जब इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दौरान विशेष न्यायालय को यह प्रतीत हो कि मामले का स्वरूप ऐसा है कि उसका संक्षेपतः विचारण करना अवांछनीय है तब विशेष न्यायालय किन्हीं साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलायेगा और ऐसे अपराध के विचारण के लिए संहिता के उपबन्धों द्वारा उपबन्धित रीति से मामले की पुनः सुनवाई प्रारम्भ करेगा और उक्त उपबन्ध विशेष न्यायालय को और उसके संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके संबंध में लागू होते हैं :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में दो वर्ष से अनधि अवधि के कारावास का दण्डादेश देना विशेष न्यायालय के लिए विधिपूर्ण होगा।

(3) विशेष न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में किसी अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यातः संयुक्त या संसर्गित होने का अनुमान है, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है कि वह अपराध के और उससे संयुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में, चाहे वह उसके करने में कर्ता रहा हो या दुष्प्रेरक, अपने ज्ञान से सभी परिस्थितियों को पूर्ण और सही रूप में प्रकट करें और इस प्रकार प्रदान की गयी कोई

क्षम संहिता की धारा 308 के प्रयोजनार्थ, संहिता की धारा 307 के अधीन प्रदान की गयी समझी जायगी।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट के मामलों में विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(5) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन विशेष न्यायालय को अन्तरित प्रत्येक मामले के संबंध में उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी मानों ऐसा मामला संहिता की धारा 406 के अधीन ऐसे विशेष न्यायालय को अन्तरित किया गया हो।

{उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986}

{धारा 11-14}

11— (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियां बन्द कमरे में की जायगी:

साक्षियों का संरक्षण

परन्तु जहां लोक अभियोजन इस प्रकार आवेदन करता है, वहां कोई कार्यवाही या उसका भाग खुले न्यायालय में की जा सकती है।

(2) ऐसा न्यायालय अपने समक्ष किसी कार्यवाही में साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से साक्षी का परिचय और पता गोपनीय रखने के लिए उपाय कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वे उपाय, जो ऐसा न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकता है, उसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय भी है:—

(क) अपने आदेशों या निर्णय में या मामले के किसी अभिलेख में, जो जनता की पहुंच में हो, साक्षियों के नाम और पते का उल्लेख न करना;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षियों का परिचय और पता प्रकट न हो जाय, कोई निदेश जारी करना।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन करता है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

12— किसी अन्य न्यायालय में, (जो विशेष न्यायालय न हो) अभियुक्त के विरुद्ध

विशेष न्यायालयों द्वारा

किसी अन्य मामले के विचारण पर विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को पूर्वता दी जायेगी और ऐसे अन्य मामले के विचारण के अधिमान में पहले समाप्त किया जायेगा और तदनुसार ऐसे मामलों का विचारण आस्थगित रहेगा।

विचारण को पूर्वता

13— जहां किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय मामले

नियमित न्यायालयों को

हो कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, वहां वह इस बात के होते हुए भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए मामले को किसी ऐसे न्यायालय को अन्तरित करेगा, जिसे संहिता के अधीन अधिकारिता है और वह न्यायालय, जिसे मामला अन्तरित किया जाय, अपराध के विचारण के संबंध में कार्यवाही करेगा मानो उसने अपराध का संज्ञान किया हो।

अन्तरित करने की शक्ति

14— (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में स्थित कोई सम्पत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, किसी गिरोहबन्द के द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी है तो वह ऐसी सम्पत्ति को कुकुर करने का आदेश दे सकता है, चाहे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान किया गया हो या नहीं।

सम्पत्ति की कुर्की

(2) प्रत्येक ऐसी कुर्की पर संहिता के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(3) संहिता के उपबन्धों के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन कुक्र की गयी, किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक को ऐसी सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियां होंगी।

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के उचित और प्रभावी प्रबन्ध के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकता है।

{उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986}

{धारा 15-16}

15— (1) जहां कोई सम्पत्ति धारा 14 के अधीन कुक्र की जाय, वहां उसका दावेदार, सम्पत्ति को निर्मुक्त करना ऐसी कुर्की की जानकारी के दिनांक से तीन मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा उस सम्पत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किये गये दावे की वास्तविकता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाय तो वह कुक्र की गयी सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा और तदुपरान्त ऐसी सम्पत्ति दावेदार को सौंप दी जायेगी।

16— (1) जहां धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन न दिया जाय या जिला मजिस्ट्रेट धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन सम्पत्ति को निर्मुक्त नहीं करता है, वहां वह मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने के लिये अधिकारिकतायुक्त न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा। न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में जांच

(2) जहां जिला मजिस्ट्रेट ने किसी सम्पत्ति को धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन कुक्र करने से इंकार किया है या किसी सम्पत्ति को धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन निर्मुक्त करने का आदेश दिया है, वहां राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जो इस प्रकार इंकार करने या निर्मुक्त करने से व्यथित हो, यह जांच करने के लिए कि क्या सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायालय को आवेदन-पत्र दे सकता है। ऐसा न्यायालय, यहद वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, ऐसी सम्पत्ति को कुक्र करने का आदेश दे सकता है।

(3) (क) उपधारा (1) के अधीन निर्देश या उपधारा (2) के अधीन आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर न्यायालय जांच के लिए कोई दिनांक नियत करेगा और उसकी नोटिस उपधारा (2) के अधीन आवेदन-पत्र देने वाले व्यक्ति या, यथास्थिति, धारा 15 के अधीन अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति और राज्य सरकार और किसी अन्य व्यक्ति को भी, जिसका हित मामले में अन्तर्ग्रस्त प्रतीत हो, देगा;

(ख) इस प्रकार नियत दिनांक को या किसी पश्चात्पूर्वी दिनांक को जब तक के लिये जांच आस्थगित की जाय, न्यायालय पक्षकों की सुनवाई करेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा, ऐसे और साक्ष्य लेगा, जिसे वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि क्या सम्पत्ति किसी गिरोहबन्द द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी और धारा 17 के अधीन ऐसा आदेश देगा, जैसा मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और आवश्यक हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को निम्नलिखित विषयों के संबंध में ऐसी शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति अधिवाचित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

{उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986}

{धारा 17-19}

(च) व्यतिक्रम के लिए निर्देश को खारिज करना या उसे एक पक्षीय विनिश्चित करना;

(छ) व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के आदेश या एकपक्षीय विनिश्चय को अपास्त करना।

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि प्रश्नगत सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी गिरोहबन्द द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं किया गया था, सम्पत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

17— यदि ऐसी जांच पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सम्पत्ति किसी गिरोहबन्द द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं की गई थी तो वह उस सम्पत्ति को ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा, जिसके कब्जे से वह कुक्र की गयी थी। किसी अन्य मामले में न्यायालय सम्पत्ति को कुक्र करके, अधिहरण करके या सम्पत्ति पर कब्जा पाने के लिए हकदार व्यक्ति को देकर या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने का ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

जांच के पश्चात् आदेश

18— संहिता के अध्याय 29 के उपबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पारित न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील पर यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

अपील

19— (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन को बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध को संहिता की धारा 2 के खण्ड किया (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जायगा और “संज्ञेय मामले” का, जैसा उसे उस खण्ड में परिभाषित किया गया है, तदनुसार अर्थ लगाया जायगा।

संहिता के कुछ उपबन्धों

उपान्तरित रूप में लागू

जाना

(2) संहिता की धारा 167, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध वाले मामले के संबंध में निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए इस प्रकार लागू होगी कि —

(क) उसकी उपधारा (1) में, “न्यायिक मजिस्ट्रेट” के प्रति निर्देश का अर्थ “न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट” के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायगा;

(ख) उसकी उपधारा (2) में “पन्द्रह दिन”, “नब्बे दिन” और “साठ दिन”, जहां कहीं भी आये हों, के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः “साठ दिन”, “एक वर्ष” और “एक वर्ष” के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जायगा;

(ग) उसकी उपधारा (2-क) निकाल दी गयी समझी जायगी।

(3) संहिता की धारा 366, 367, 368 और 371 विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध वाले मामले के सम्बन्ध में इस उपान्तर के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उसमें “सेशन न्यायालय”, जहां कहीं भी आया हो, के प्रति निर्देश का अर्थ “विशेष न्यायालय” के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायगा।

(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायगा, जब तक कि —

{उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986}

{धारा

20-24}

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता; और

(ख) जहां लोक अभियोजन आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाय कि वह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वहां ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(5) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के बारे में निर्बन्धन, संहिता के अधीन निर्बन्धनों के अतिरिक्त होंगे।

20— इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिभावी प्रभाव

21— जहां यह तात्पर्यित हो कि कोई आदेश इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त या उसके अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करके किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित किया गया है, वहां न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थान्तर्गत यह उपधारणा करेगा कि ऐसा आदेश उस प्राधिकारी द्वारा दिया गया था।

आदेश के बारे में उपधारणा अधिनियम सं० 1 सन् 1872

22— राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध कार्य किसी ऐसे कार्य के लिए, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

सद्भावना से किए गए का संरक्षण

23— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने सहित या बिना जुर्माने के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो छः मास से अधिक न होगी, दण्डनीय होगा।

24— (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कुल कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृतकार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उ०प्र० अध्यादेश सं० 4 सन् 1986

THE UTTAR PRADESH GANGSTERS AND ANTI-SOCIAL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1986

[U. P. ACT No.7 OF 1986]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March, 13, 1986 and by the Uttar Pradesh legislative Council on March 14, 1986.

Received the assent of the President on March 19, 1986 under Article 201 of 'the Constitution of India', and was published in U. P. Gazette Extraordinary, dated March 19, 1986.]

AN

ACT

to make special provisions for the prevention of, and for coping with, gangsters and anti-social activities and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows:

Short title, extent and commencement 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 15, 1986.

Definitions 2. In this Act,-

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973;

(b) "Gang" means a group of persons, who acting either singly or collectively, by violence, or threat or show of violence, or intimidation, or 1974

for	coercion or otherwise with the object of disturbing public order or of gaining any undue temporal, pecuniary, material or other advantage himself or any other person, indulge in anti-social activities, namely-
Act no. 45 of or 1860	(i) offences punishable under Chapter XVI, or Chapter XVII, Chapter XXII of the Indian Penal Code, or
U.P. Act no. 4 1910	(ii) distilling or manufacturing or storing or transporting or of importing or exporting or selling or distributing any liquor, or intoxicating or dangerous drugs, or other intoxicants or narcotics cultivating any plant, in contravention of any of the provisions of U. P. Excise Act, 1910 or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other law for the time being in force,
or	
the	
or	
Act no. 61 of 1985	(iii) occupying or taking possession of immovable property otherwise than in accordance with law, or setting-up false claims title or possession of immovable property whether in himself or other person, or
for	
any	(iv) preventing or attempting to prevent any public servant or any witness from discharging his lawful duties, or
	(v) offences punishable under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956, or
[The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986] [Section 2]	
Act no. 104 of 1956	(vi) offences punishable under section 3 of the Public Gambling Act, 1867, or
	(vii) preventing any person from offering bids in auction lawfully conducted, or tender, lawfully invited, by or on behalf of any Government department, local body or public or private undertaking for any lease or right or supply of goods or work to be done, or
	(viii) preventing or disturbing the smooth running by any person of his lawful business profession, trade or employment or any other lawful activity connected therewith, or
	(ix) offences punishable under section 171-E of the Indian Penal Code, or in preventing or obstructing any public election being lawfully held, by physically preventing the voter from exercising his electoral rights, or
	(x) inciting others to resort to violence to disturb communal harmony, or
	(xi) creating panic, alarm or terror in public, or
	(xii) terrorising or assaulting employees or owners or occupiers of public or private undertakings or factories and causing mischief in respect of their properties, or
	(xiii) inducing or attempting to induce any person to go to foreign countries on false representation that any employment, trade or profession shall be provided to him in such foreign country, or
	(xiv) kidnapping or abducting any person with intent to extort ransom, or
	(xv) diverting or otherwise preventing any aircraft or public transport vehicle from following its scheduled course;

(c) "gangster" means a member or leader or organiser of a gang and includes any person who abets or assists in the activities of a gang enumerated in clause (b), whether before or after the commission of such activities or harbours any person who has indulged in such activities;

(d) "public servant" means a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code or any other law for the time being in force, and includes any person who lawfully assists the police or other authorities of the State, in investigation or prosecution or punishment of an offence punishable under this Act, whether by giving information or evidence relating to such offence or offender or in any other manner:

(e) "member of the family of a public servant" means his parents or spouse and brother, sister, son, daughter, grandson, granddaughter or the spouses of any of them; and includes a person dependent on or residing with the public servant and a person in whose welfare the public servant is interested :

[The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986] [Section 3-4]

(f) words and phrases used out not defined in this Act and defined in the Code of Criminal Procedure, 1973, or tile Indian Penal Code shall have the meanings respectively assigned to them in such Codes.

Penalty

3. (1) A gangster shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years and which may extend to ten years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees:

Provided that a gangster who commits an offence against the person of a public servant of the person of a member of the family of a public servant shall be punished Kith imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees,

- (2) Whoever being a public servant renders any illegal help or support in any manner to a gangster, whether before or after the Commission of any offence by the gangster (whether by himself or through others) or abstains from taking lawful measures or intentionally avoids to carry out the directions of any court or of his superior officers, in this respect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years but shall not be less than three years and also with fine.

Special Rules
the of Evidence

4. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code or Indian Evidence Act, 1872, for the purposes of trial and punishment for offences under this Act or connected offences:

(a) the court may take into consideration the fact that the accused was- -

(i) on any previous occasion bound down under section 107 or section 108 or section 109 or section no of the Code, or

(ii) detained under any law relating' to preventive detention; or

(iii) externed under the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 or any other such law;

(b) where it is proved that a gangster or any person on his behalf is or has at any time been, in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, or where his pecuniary resources are disproportionate to his known sources of income, the Court

shall, unless contrary is proved, presume that such property or pecuniary resources have been acquired or derived by his activities as a gangster;

(c) where it is proved that the accused has kidnapped or abducted any person, the court shall, presume that it was for ransom;

(d) where it is proved that a gangster has wrongfully concealed or confined a kidnapped or abducted person, the Court shall presume that the gangster knew that such person was kidnapped or abducted, as the case may be;

[The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986]

[Section 5-6]

evidence (e) the Court may, if for reasons to be recorded it thinks fit so to do, proceed with the trial in the absence of the accused and record the of any witness, provided that the witness may be recalled for cross examination if the accused so desires but recording, his examination in chief afresh in presence of the accused shall not be necessary.

- Special courts 5. (1) The State Government may if it considers necessary so to do in the interest of speedy trial of offences under this Act, for the whole or any part of the State, constitute one or more Special Courts,
- (2) A Special Court shall be presided over by a judge to be appointed by the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court.
- (3) The State Government may also appoint, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, Additional Judges to exercise jurisdiction in a Special Court.
- (4) A person shall not be qualified for appointment as a judge or an additional Judge of a Special Court unless he is, immediately before, such appointment, a sessions judge or an additional sessions judge in any State.
- (5) Where, the office of the Judge of the Special Court is vacant, or such Judge is absent from the ordinary place of sitting of Special Court, or he is incapacitated by illness or otherwise for the performance of his duties, any urgent business in the Special Court shall be disposed of--
- (a) by the additional judge, if any, exercising jurisdiction in that Special Court.
- (b) where there is no such additional judge available, in accordance with the directions of the Sessions judge having jurisdiction over, the ordinary place of sitting of the Special Court as notified.
- (6) Where one additional Judge is or more additional judges are appointed in a Special Court the Judge of the Special Court may, from time to time by general or special order, in writing, provide for the distribution of business of the Special Court among himself and the additional judge or additional judges and also for the disposal of urgent business in the event of the absence of any additional judge.

Place of sitting 6. A Special Court may, if it considers it expedient or desirable so to do, sit for any of its proceedings at any place other than the ordinary place of its sitting:

Provided that if the Public Prosecutor certifies to the Special Court that it is, in his opinion necessary for the protection of the accused or any witness or otherwise expedient in the interest of justice that the whole or any part of the trial should be held at some place other than the ordinary

place of its sitting, the Special Court may, after hearing the accused make an order to that effect unless, for reasons to be recorded in writing, the Special Court thinks fit to make any other order.

[The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986] [Section 7-9]

Jurisdiction of
has special courts

7. (1) Notwithstanding anything contained in the Code where a Special Court been constituted for any local area, every offence punishable under any provision of this Act or any rule made thereunder shall be triable only by the Special Court within whose local jurisdiction it was committed whether before or after the constitution of such Special Court.
- (2) All cases triable by a Special Court, which immediately before the constitution of such Special Court were pending before any court, shall on creation of such Special Court having jurisdiction over such cases, stand transferred to it.
- (3) Where it appears to ally court in the course of any inquiry or trial in respect of any offence that the Case .is one which should be tried by a Special Court constituted under this Act [or the area in which such case has arisen, it shall transfer such case to such Special Court, and thereupon such case shall be tried and disposed of by the Special Court in accordance with the provisions of this Act:

Provided that it shall be lawful for the Special Court to Act on the evidence, it any, recorded by the court in the case in the presence of the accused before the transfer of the case under this section:

Provided further that if the Special Court is of opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence is already recorded in the case is necessary in the interest of justice, it may re-summon any such witness and after such further examination cross-examination and re-examination, if any, as it may permit, the witness shall be discharged.

- (4) The State Government may if satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, transfer any case pending before a Special Court to another Special Court.

Power of
also special Courts
other law for with respect to
trial.
other offences

8. (1) Then trying any offence punishable under this Act a Special Court may, try any other offence with which the accused may, under any the time being in force, be charged at the same
- (2) If in the course of any trial under this Act of any offence, it is found that the accused has committed any other offence under this Act or any rule thereunder or under any other law, the Special Court may convict such person of such other offence and pass any sentence authorised by this Act or such rule or, as the case may be such other law, for the punishment thereof.

Public
be Prosecutor

9. (1) For every Special Court, the State Government shall appoint a person to the Public Prosecutor and may appoint one or more persons to be the Additional Public Prosecutor or Additional Public Prosecutors:

Provided that the State Government may also appoint for any case or class of cases a Special Public Prosecutor.

[The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986] [Section 10]

- (2) A person shall be eligible to be appointed as Public Prosecutor or an Additional Public Prosecutor or a Special Public Prosecutor under this section only if he has been in practice as an Advocate for not less than seven years or has held any post, for a period of not less than seven years, under the Union or State requiring special knowledge of law.
- (3) Every person appointed as a Public Prosecutor or an Additional Public Prosecutor or Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be a Public Prosecutor within the meaning of clause (u) of section 2 of the Code and the provisions of the Code shall have effect accordingly.

- Procedure and powers of special Courts
10. (1) A Special Court may take cognizance of any offence triable by it, without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of facts which constitute such offence or upon a police report of such facts.
- (2) Where an offence triable by a Special Court is punishable with Imprisonment for a term not exceeding three years or with fine or with both, the Special Court may, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 260 or section 262 of the Code, try the offence in summary way in accordance with the procedure prescribed in the Code and the provisions of sections 263 to 265 of the Code, shall, so far as may be, apply to such trial:
- Provided that when in the course of a summary trial under this sub-section, it appears to the Special Court that the nature of the case is such that it is undesirable to try in a summary way, the Special Court shall recall any witnesses who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by the provisions of the Code for the trial of such offence and the said provisions shall apply to and in relation to a Special Court as they apply to and in relation to a Magistrate :
- Provided further that in the case of any conviction in a summary trial under this sub-section, it shall be lawful for a Special Court to pass sentence of imprisonment for a term not exceeding two years.
- (3) A Special Court, may, with a view to Obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to an offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within this knowledge relative To the offence and to every other person concerned whether as principal or abettor in the commission, thereof, and any pardon so tendered shall, for the purposes of section 308 of the Code, he deemed to have been tendered under section 307 thereof.
- (4) Subject to the other provisions of this Act a Special Court shall for the purpose of trial of any offence, have all the powers of a Court of session and shall follow the procedure prescribe in the Code for the trial of warrant cases by the Magistrate.
- (5) Subject to the other provisions of this Act every case transferred to a Special Court under sub-section (3) of section 7 shall he dealt with as if such case

had been transferred under section 406 of the Code to such Special Court.

[The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986] [Section 11-14]

- Protection of witnesses
11. (1) Notwithstanding anything contained in the Code all proceedings before a Court trying an offence under this Act shall be conducted in camera:

Provided that where the Public Prosecutor so applies any proceedings or part thereof may be held in open court.

(2) Such Court may, on an application made by a witness in any proceedings before it or by the Public Prosecutor in relation to such witness or on its own motion, take such measures as it deems fit for keeping the identity and address of the witness secret.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (2), the measures which such Court may take under that sub-section may include :-

(a) the avoiding of the mention of the names and addresses of the witnesses in its orders or judgment or in any records of the case accessible to public;

(b) the issuing of any directions for securing that the identity and addresses of the witnesses are not disclosed.

(4) Any person who contravenes any direction issued under sub-section (3) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one thousand rupees.

Trial by special
to have
other precedence

shall

Power to
opinion transfer cases
has no to regular
to courts

12. The trial under this Act of any offence by Special Court shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any court (not being a Special Court) and shall be concluded in preference to the trial of such other case and accordingly the trial of such other Case remain in abeyance.

13. where after taking cognizance of any offence a Special Court is of opinion that the offence is not triable by it, it shall, notwithstanding that it has jurisdiction to try such offence, transfer the case for trial of such offence to any court having jurisdiction under the Code and the court to which the case is transferred may proceed with the trial of the offence as if it has taken cognizance of the offence.

Attachment of
property
by

14. (1) If the District Magistrate has reason to believe that any property, whether moveable or immovable, in possession of any person has been acquired by a gangster as a result of the commission of an offence triable under this Act, he may order attachment of such property whether or not cognizance of such offence has been taken by any Court.

(2) The provisions of the Code shall, *mutatis mutandis* apply to every such attachment.

(3) Notwithstanding the provisions of the Code the District Magistrate may appoint an Administrator of any property attached under sub-section (1) and the Administrator shall have all the powers to administer such property in the best interest thereof.

(4) The District Magistrate may provide police help to the Administrator for proper and effective administration of such property.

[The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986] [Section 15-16]

Release or
property
a
and

15. (1) Where any property is attached under section 14, the claimant thereof may within three months from the date of knowledge at such attachment make representation to the District Magistrate showing the circumstances in the sources by which such property was acquired by him.

- (2) If the District Magistrate is satisfied about the genuineness of the claim made under sub-section (1) he shall forthwith release the property from attachment and thereupon such property shall be made over to the claimant.

Inquiry into the character of acquisition of report property by court

16. (1) When no representation is made within the period specified in sub-section (1) of section 15 or the District Magistrate does not release the property under sub-section (1) of section 15 he shall refer the matter with his to the Court having jurisdiction to try an offence under this Act.

- (2) Where the District Magistrate has refused to attach any property under sub-section (1) of section 14 or has ordered for release at any property under sub-section (2) of section 15, the State Government or any person aggrieved by such refusal or release may make an application to the court referred to in sub-section (1) [or inquiry as to whether the property was acquired by or, as a result of the commission of an offence triable under this Act. Such court may, if it considers necessary or expedient in the interest of justice so to do, order attachment of such property.

- (3) (a) On receipt of the reference under sub-section (1) or an application under sub-section (2), the court shall fix a date for inquiry and give notices thereof to the person making the application under sub-section (2) or, as the case may be, to the person making the representation under section 15 and to the State Government, and also to any other person whose interest appears to be involved in the case.

- (b) On the date so fixed or on any subsequent date, to which the inquiry may be adjourned the court shall hear the parties, receive evidence produced by them, take such further evidence, as it considers necessary, decide whether the property was acquired by a gangster as a result of the commission of an offence triable under this Act and shall pass such order under section 17 as may be just and necessary in the circumstances of the case.

- (4) For the purpose of inquiry under sub-section (3) the Court, shall have the power of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters; namely--

- (a) summoning and enforcing- the attendance of any, person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (e) issuing commission for examination of witnesses or documents;

[The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986] [Section 17-19]

- (f) dismissing a reference for default or deciding it ex parte;
 - (g) setting aside In order of dismissal for default or ex parte decision.
- (5) In any proceedings under this section, the burden of proving that the property in question or any part thereof was not acquired by a gangster as a result of the commission or any offence triable under this Act, shall be all the person claiming the property anything to the contrary contained in the Indian Evidence Act, 1872 notwithstanding.

Order after a inquiry Act	17.	If upon such inquiry the Court finds that the property was not acquired by gangster as a result of the commission or any offence triable under this Act it shall order for release of the property to the person from whose possession it was attached. In any other case the Court may make such order as it thinks fit for the disposal of the property by attachment, confiscation or delivery to any person entitled to the possession thereof, of otherwise.
Appeal apply	18.	The provisions of Chapter XXIX of the Code shall, <i>mutatis mutandis</i> , to an appeal against any judgement or order of a Court passed under the provisions of this Act.
Modified application of certain provisions of Code	19.	(1) Notwithstanding anything contained in the Code every offence punishable under this Act or any rule made thereunder shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of clause (e) of section 2 of the Code and cognizable case as defined in that clause shall be construed the accordingly. (2) Section 167 of the Code shall apply in relation to a case involving an offence punishable under this Act or any rule made thereunder subject to the modifications that- (a) the reference in sub-section (1) thereof to "Judicial Magistrate" shall be construed as a reference to "Judicial Magistrate or Executive Magistrate"; (b) the references in sub-section (2) thereof to "fifteen days", "ninety days" and "sixty days", wherever they occur, shall be construed as references to "sixty days", "one year" and "one year", respectively; (c) sub-section (2-A) thereof shall be deemed to have been omitted. (3) Sections 366, 367, 368 and 371 of the Code shall apply in relation to a case involving, an offence triable by a Special Court, subject to the modification that the reference to "Court of Session" wherever occurring therein, shall be construed as reference to "Special Court". (4) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under this Act or any rule made thereunder shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless--
[The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986] [Section 20-24]		
		(a) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release; and (b) where the Public Prosecutor opposes the application, the Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail. (5) The limitations on granting of bail specified in sub-section (4) are in addition to the limitations under the Code.
Overriding effect	20.	The provisions of this Act or any rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment.
Presumption as to order Act	21.	Where an order purports to have been made and signed by an authority in exercise of any power conferred by or under this Act, a court shall,

within no. 1 of 1872 order was		the meaning of the Indian Evidence Act, 1872, presume that such so made by that authority.
Protection of action taken in faith of	22.	No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any Officer or authority of the State Government for good anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance this Act or any rules made thereunder.
Power to make	23. (1)	The State Government may, by notification make for carrying out the rule purposes of this Act.
	(2)	The rules made under sub-section (1) may provide that any contravention of any of the provisions of the rules shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding six months with or without fine not exceeding rupees one thousand.
Repeal and	24. (1)	The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) saving. Ordinance, 1986, is hereby repealed.
U.P. Ordinance no. of 1986 done provisions	(2)	Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been or taken under the corresponding provision of this Act as if the of this Act were in force at all material times.

